(TO be published in Part IV of Delhi Gazette Extraordinary)

Government of National Capital Territory of Delhi,

(Law, Justice and Legislative Affairs Department),

8th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110002

No.14(8)/LA-2002/799 Dated / July, 2002

The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President on 6.6.2002 and is hereby published for general information.

The Delhi Municipal Corporation (Amendment)Act, 2002(Delhi Act No.of 2002).

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 16.04.2002).

An Act further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1.(1) This Act may be called the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act,2002.

(2) Except for the provision of section 4, which shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of February, 2002, the remaining provisions of this Act shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint and different date may be appointed for such different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

DVS

Amendment of section 2

2. In section 2 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957)(hereinafter referred to as the principal Act), after clause (62), the following clause shall be inserted, namely :-

"(62A) "Voting machine" means any machine or apparatus whether operated electronically or otherwise used for giving or recording of votes and any reference to a ballot box or ballot paper in this Act or the rules made thereunder shall, save as otherwise provided, be construed as including a reference to such voting machine wherever such voting machine is used at any election."

:2:

Amendment of section 29

3. In section 29 of the Principal Act –

(a) in the shoulder heading, after the words "ballot papers" and before the word "from" the words" or ballot boxes or the voting machines" shall be inserted;

(b) in sub-section(1), after the words "to take a ballot paper" and before the words "out of ", the words " or a ballot box or a voting machines or a part thereof" shall be inserted;

(c) in sub-section (3), after the words" arrested on search" and before the words " shall be made", the words "or a ballot box or a voting machine or part thereof found being carried away by a person outside the polling station" shall be inserted.

Insertion of new sections 29A, 29B and 29C

4. After section 29 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:

"29A. Prohibition of going armed to or near a polling station-

(1) No person, other than the returning officer, the presiding officer, any police officer and any other person appointed to maintain peace and order at a polling station who is on duty at the polling station, shall, on a polling day, go armed with arms, as defined in the Arms Act, 1959 (54 of 1959), of any kind within the neighborhood of a polling station.

(2) If any person contravenes the provisions of sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine, or with both.

(3) Notwithstanding anything contained in the Arms Act, 1959, where a person is convicted of an offence under this section, the arms as defined in the said Act found in his possession shall be liable to confiscation and the licence granted in relation to such arms shall be deemed to have revoked under section 17 of that Act.

(4) An offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable.

29B Offence of booth capturing- Whoever commits an offence of booth capturing shall be punishable with imprisonment for a terms which shall not be less than one year but which may extend to three years and with fine, and where such offence is committed by a person in the service of the Government, he shall be punishable with imprisonment for a

DVS

term which shall not be less than three

years but which may extend to five years and with fine .

Explanation- for the purposes of this section "booth capturing includes, among other things, all or any of the following activities, namely:-

(a) Seizure of a polling station or a place fixed for the poll by any person or persons making polling authorities surrender the ballot papers, used ballot box or boxes or voting machines & use and doing of any other act which affects the orderly conduct of elections;

(b) taking possession of a polling station or a place fixed for the poll by any person or persons and allowing only his or their own supporters to exercise their right to vote and prevent others from free exercise of their right to vote;

(c) coercing or intimidating or threatening directly or indirectly any elector and preventing him from going to the polling station or a place fixed for the poll to cast his vote;

(d) seizure of a place for counting of votes by any person or persons making the counting authorities surrender the ballot papers or voting machines and the doing of anything which affects the orderly counting of votes;

(e) doing by any person in the service of Government of all or any of the aforesaid activities or aiding or conniving at any such activity in the furtherance of the prospects of the election of a candidate.

29C. Liquor not to be sold, given or distributed on polling day- (1)No spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature shall be sold, given or distributed at a hotel, eating house, tavern, shop or any other place, public or private, within a polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in that polling area.

DVS

(1) Any person who contravenes the provisions of sub-section(1) shall be punishable with imprisonment for a term, which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees , or with both.

(2) Where a person, is convicted of an offence under this section, the spirituous, fermented or intoxication liquors or other substances of a like nature found in his possession shall be liable to confiscation and the same shall be disposed of in such manner as may be prescribed."

Repeal and savings

5(1) The Delhi Municipal Corporation(Amendment) Ordinance. 2002

(Delhi Ordinance No.1 of 2002) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act.

(R.K.PARBHAKAR),
Deputy Secretary(Law,Jus. & L.A.).

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ).

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,

(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग),

8वां तल, "सी" खण्ड, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002

संख्या: फा. 14 (8) / विधायी कार्य-2002/ 799 दिनांक 01 जुलाई, 2002.

राष्ट्रपति की दिनांक 6.6.2002 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है ।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2002 (दिल्ली अधिनियम संख्या: 10 वर्ष, 2002)।

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा 16 अप्रैल, 2002 ... को यथा पारित)

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का फिर से संशोधन करने के लिए

एक

अधिनियम

यह भारतीय गणतंत्र में 53वें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा द्वारा निम्नप्रकार अधिनियमित किया जाए:-

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-

1. (1) यह अधिनियम दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहलायेगा ।

(2) धारा 4 के प्रावधानों, जिन्हें 18 फरवरी, 2002 से लागू हुआ माना जायेगा को छोड़कर अधिनियम के शेष उपबंध सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से नियत की तिथि को लागू होंगे तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिये अलग-अलग तिथियाँ नियत की जा सकती हैं तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के लिये किसी ऐसे उपबंध में किसी संदर्भ का यही अर्थ लिया जाएगा जैसाकि उस उपबंध के प्रवृत्त होने के लिये किसी संदर्भ का है ।

धारा 2 का संशोधन

2. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) (इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

(62क) "मतदान मशीन" का अर्थ कोई मशीन या उपकरण चाहे इलैक्ट्रोनिक प्रणाली से संचालित हों या अन्यथा मत देने या दर्ज करने के लिये प्रयुक्त हो और इस अधिनियम में या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में किसी मत पेटी या मत पत्र के किसी संदर्भ में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अर्थ लगाए जाएगा । ऐसी मतदान मशीन के संदर्भ के रूप में शामिल, चाहे ऐसी मतदान मशीन किसी चुनाव में प्रयुक्त हुई हो"

धारा 29 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 29 में

(क) स्कन्ध शीर्षक में शब्द "मत पत्र" के उपरांत और शब्द "से" से पूर्व शब्द "मत पेटियाँ या मतदान मशीन" जोड़े जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में शब्द "मत पत्र प्राप्त करने के लिये" के उपरांत और शब्द "में से" के पूर्व शब्द "अथवा कोई मत पेटी या मतदान मशीन या इसका कोई भाग" शामिल किये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (3) में शब्द "तलाशी लेने पर गिरफ्तार" के उपरांत और शब्द "किए जाएंगे" से पूर्व शब्द "अथवा मतदान केन्द्र से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा लाई जा रही कोई मत पेटी या कोई मतदान मशीन या इसके भाग पायी गयी/पाये गये ।"

नई धाराएं 29क, 29ख तथा 29ग का समावेशन :-

4. मूल अधिनियमावली की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात् :-

"29क. किसी मतदान केन्द्र में या निकट हथियार लाने पर प्रतिबंध :-

(1) रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी तथा किसी मतदान केन्द्र पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिसकी मतदान केन्द्र पर ड्यूटी है, के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति शस्त्र अधिनियम ,1959 (1959 का 54) में यथापरिभाषित किसी प्रकार का हथियार मतदान वाले दिन किसी मतदान केन्द्र के निकट नहीं ले जायेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो उसे दो वर्ष के कारावास की सजा होगी या अर्थदंड लगेगा या दोनों ही ।

(3) शस्त्र अधिनियम, 1959 में कुछ भी रहते हुए जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए सिद्ध दोषी पाया गया है, उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित हथियार उसके कब्जे से पाया गया, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा तथा ऐसे हथियार से संबंधित दिये गये लाइसेंस को अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत रद्द माना जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के अन्तर्गत कोई दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

29ख, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के अपराध :-

बूथ कब्जा करने संबंधी किसी अपराध के लिए कारावास की सजा होगी जो एक वर्ष से कम नहीं होगी और तीन वर्ष तक अर्थदंड सहित बढ़ सकती है और जब कभी ऐसा अपराध सेवारत व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे कारावास की सजा मिलेगी जो कम से कम तीन वर्ष की होगी लेकिन यह पांच वर्ष के लिये अर्थदंड सहित बढ़ सकती है ।

व्याख्या :- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "बूथ कब्जा" करने में निम्नलिखित सभी या कुछ गतिविधियां अन्य बातों के साथ-साथ हैं :-

(क) मत-पत्र प्रयुक्त मत पेटी या पेटियां या प्रयोग में लाई गई मतदान मशीनें और किसी अन्य प्रकार का कार्य करना जो सही ढंग से चुनाव कार्य संचालन में बाधा डालती हो,

सुपुर्द करने के लिए मतदान प्राधिकारियों को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान के लिए मतदान केन्द्र या किसी नियत स्थान का कब्जा ।

{ख} किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान के लिए किसी मतदान केन्द्र या किसी नियत स्थान का कब्जा लेकर केवल अपने या उनके समर्थकों को मतदान का अधिकार देना और अन्य लोगों को अपने मतदान के अधिकार से वंचित करना ।

{ग} किसी मतदाता को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दबाव डालना, डराना या धमकी देना और उसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान पर अपना मत डालने के लिए रोकना ।

{घ} किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतगणना के लिए नियत किसी स्थान का कब्जा, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्र या मतदान मशीनें सुपुर्द करने के लिए गणना अधिकारियों पर जोर डालना और ऐसी बात जिससे मतगणना के कार्य पर दुष्प्रभाव पड़े।

{ड.} सेवारत किसी व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त सभी या कुछ गतिविधियों का किया जाने या उनमें सहायता करना या प्रचार करना जिससे किसी प्रत्याशी के चुनाव पर सही असर पड़े ----- ऐसी अन्य गतिविधि करना ।

29ग. चुनाव के दिन शराब बेचने, देने या वितरण पर रोक :-- {1} चुनाव के लिये मतदान की समाप्ति के लिये नियत 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी मतदान क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार के मादक फर्मेनेटिड या शराब या इसी तरह अन्य पदार्थ किसी होटल, खान-पान गृह, तवरण, दुकान या किसी अन्य स्थान-- सरकारी या निजी में बेचा, दिया या वितरित नहीं किया जायेगा ।

{2} जो व्यक्ति उपधारा {1} के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह कारावास के दंड का भागी होगा जो छः माह तक बढ़ सकता है अन्यथा अर्थदंड सहित जो 2000 रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों सहित ।

{3} जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये सिद्ध दोषी है, यदि उसके कब्जे में मादक, फर्मेनेटिड या शराब या इसी तरह के अन्य पदार्थ पाये जाते हैं तो वे जब्त कर लिये जायेंगे और यथानिर्धारित पद्धति से इनका निपटान किया जायेगा ।"

<u>निरसन और बचाव</u>

5. {1} दिल्ली नगर निगम {संशोधन} अध्यादेश 2002 {2002 का दिल्ली अध्यादेश संख्या 1} इसके द्वारा रद्द किया जाता है ।

{2} ऐसे निरसन के कुछ भी रहते हुए, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अन्तर्गत किए गये या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अन्तर्गत किए गए या की गयी कोई कार्यवाही मान लिया/ली जायेगा/जायेगी ।

{आर०के०पी०भावार},
उप सचिव{ विधि, न्याय एवं विधायी कार्य}.